

उपखण्ड अधिकारी एवं पट्टेन सहा. कलेक्टर  
 लोक अदालत  
 पीठाधीन अधिकारी

8/10  
 10/10

1. तहसीलदार, फतेहपुर को भनकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल प्रतिविधि :-
2. प्रार्थी श्री विजय शंकर को विजय शंकर का विजय शंकर का संपन्नता।
3. स्थिति पत्रावली।

दिनांक : 08-06-80

क्रमांक : 4004/1000/18

उपखण्ड अधिकारी एवं पट्टेन सहा. कलेक्टर  
 लोक अदालत  
 पीठाधीन अधिकारी  
 (11/10/80)

क्र.सं.	ग्राम	खाला संख्या	वर्तमान प्रतिविधि (अशुद्ध प्रतिविधि)	आदेश (शुद्ध प्रतिविधि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है)
1.	<u>विजय शंकर</u>	163, 154	<u>विजय शंकर</u> <u>शुद्ध</u>	<u>विजय शंकर</u> <u>शुद्ध</u>

प्रार्थी के "खाला डुकस्ती" प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली दिनांक 11/10/80 को अन्वेषण के आधार पर राजस्थान न्यू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्वेषण में ग्राम विजय शंकर की जमाबन्दी संख्या 163, 154 में वर्तमान में दर्ज प्रतिविधि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दायर के आदेश दिव्य जाते हैं:-

—आदेश—

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पट्टेन सहायक कलेक्टर, फतेहपुर (पीठाधीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प विजय शंकर